ग्राम पंचायत चमेन्जी विकास खण्ड पच्छाद ज़िला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017

भाग-1

1. प्र

स्तावना (क) :-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या **PCH-HC-(5)C(15)LAD**/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 **द्वारा** पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि० प्र० को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत चमेन्जी विकास खण्ड पच्छाद ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग **द्वारा** किया गया !

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:

प्रधान :-

क्र.सं.	नाम	अवधि
1	श्रीमती इंद्रा चायल	23/01/11 से 06/09/15
2	श्री संजीव तोमर	07/09/15 से 06/11/15
3.	श्रीमती इंद्रा चायल	07/11/15 से 22/01/16
4.	श्रीमती सरीता ठाकुर	23/01/16 से लगातार

सचिव:-

क्र.सं.	नाम	अवधि
1	श्री मोहनलाल	01/04/14 से 31/05/16
2.	श्री अजय शर्मा	01/06/16 से लगातार

(ख) गंभीर अनियमितताओं का सार :- ग्राम पंचायत चमेन्जी के लेखाओं अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है;

क्र0 सं0	पैरा नं	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	5(i)	रोकड़ बही का बैंक के साथ मिलान न करना	-------
2	5(ii)	रोकड़ बही तथा खाताबही का उचित तरीके से संधारण न कारण के कारण वर्ष 2014-15 के दौरान उपलब्ध शेष राशि से का अधिक भुगतान	1.13
3	6	ब्याज की राशि विकास खण्ड अधिकारी , पच्छाद को वापसी की पुष्टि न होना	1.17
4	8	गृहकर की शेष वसूली	0.20
5	9	गृहकर की कम जमा करवाई गई राशि की वसूली बारे	0.02
6	10	बिना बिल/ वौचेर्स के राशि का आहरण/अनियमित भुगतान	1.13

7	11	स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गयी राशि की वसूली बारे	0.03
8	12(i)	मुल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय कर राशि का अधिक आहरण/भुगतान कर राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन	0.12
9	12(ii)	निर्माण कार्य के पूर्ण हो जाने के उपरांत सीमेंट की खरीद हेतु संदिग्ध क्रय/भुगतान	0.18
10	12(iii)	निर्माण कार्यो को तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकित करवाए बिना राशि का आहरण/ अनियमित भुगतान	31.46
11	12(v)	निर्माण कार्य पक्का रास्ता भोंड़ी में मस्टर रोल्स पर दर्शाए गए भुगतान की पुष्टि न होना	0.16
12	14(ii)	बिल/वाउचर्स के अनुसार रोकड़ बही में दर्ज व्यय की राशि से वर्ष 2014-15 के दौरान राशी का Online अधिक भुगतान	3.34
13	14(iii)	निर्माण सामग्री के क्रय पर कार्य के लिए स्वीकृत राशि के 40% से अधिक खर्च कर अधिक भुगतान	1.07
14	15	पेशगी राशि की शेष वसूली	1.13
15	16	अधिक व्यय की गई राशि की शेष वासूली	3.75
16	17	अनुदानों की राशि का उपयोग न करना	17.69
17	18	ओपचारिक्तायें पूर्ण किये बिना स्टोर/स्टॉक का क्रय	------
18	19	जे.सी.बी. चार्जीस का अनियमित भुगतान	2.40
19	20	स्टोर/स्टॉक सामग्री की प्रविष्टि न करना	------
20	21	बिलों को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित व पारित करवाए बिना ही राशि का अनियमित भुगतान	5.92

2. व

र्तमान अंकेक्षण: -

ग्राम पंचायत चमेन्जी विकास खण्ड पच्छाद ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान , अनुभाग अधिकारी **द्वारा** दिनांक **28/07/17 से 03/08/2017** तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः **06/2014, 03/2016, 09/2016 व 03/2015, 02/2016, 03/2017** मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है ।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना /अभिलेख के अपूर्ण /गलत व उपलब्ध न होने

की स्थिति मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग ,हि0 प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अं

केक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत चमेन्जी , विकास खण्ड पच्छाद , ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि 0 प्र0 शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:**जी.पी. (आडिट) /पच्छाद/2017-18-4** दिनांक 03/08/2017 द्वारा सचिव , ग्राम पंचायत चमेन्जी से अनुरोध किया गया।

4. वि

त्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत चमेन्जी **द्वारा** प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

i) स्व

: स्त्रोत :- ग्राम पंचायत चमेन्जी के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के दौरान स्व: स्त्रोतों से प्राप्त आय की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	--------	12300.00	12300.00	8678.00	3622.00
2015-16	3622.00	28385.00	32007.00	8658.18	23348.82
2016-17	23348.82	63923.80	87272.62	29144.00	58128.62

{**परिशिष्ट-1**}

नोट :- ग्राम पंचायत चमेन्जी की स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि खाते में ही जमा करवाया गया है तथा स्व : स्त्रोत का खाता अलग से न होने के कारण स्व : स्त्रोत का 01/04/2014 को प्रारंभिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका । जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्व: स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर खाता "क" में रखे जाने का प्रावधान है । अतः स्व: स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत चमेन्जी की अवधि 01/4/2014 से 31/03/2017 में अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , तथा जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-2A** मे भी दिया गया है।

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	1069369.91	3547373.00	4616742.91	3540938.00	1075804.91
2015-16	1075804.91	2351259.00	3427063.91	2333578.00	1093485.91
2016-17	1093485.91	1815748.00	2909233.91	1140100.00	1769133.91

नोट:- रोकड़ बही में मासांत /वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए है अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/14 के प्राम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का दिनांक 01/04/14 का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया है ।

5 (i).रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना:-

रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया की पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हि 0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य है। अतः पंचायत **द्वारा** रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है , अतः इस अनियमितता के बारे मे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

31.03,2017 को वितीय स्थिति तथा बैंक खतों अनुसार अंतिम शेष

विवरण	राशि (रु.)	परिशिष्ट
स्व: स्त्रोत	58128.62	1
अनुदान	1769133.91	2
वितीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	1827262.53	3
विभिन्न बैंकों में जमा राशि	1827262.53	4
अन्तर	शून्य	

31.03.2017 को विभिन्न बैंकों में जमा राशि का ब्यौरा-

क्रम स.	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	जमा राशि
1.	HPSC Bank, Narag	56010107451	35174.00
2.	----do----	56010103576	88255.00
3.	----do----	56010105016	1603545.60
4.	SBI, Wasni	55138353791	1654.93
5.	----do----	65019044739	98633.00
	कुल जमा राशि		**1827262.53**

{परिशिष्ट–4 पर }

(ii). रोकड़ बही तथा खाताबही का उचित तरीके से संधारण न कारण के कारण वर्ष2014–15 के दौरान उपलब्ध शेष राशि से₹1.13 लाख का अधिक भुगतानः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 व 29 के अंतर्गत पंचायत **द्वारा** संधारित की गई **रोकड़ बहियां** तथा **खाताबहियों** का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है । रोकड़ बही केवल नाम की रोकड़ बही है जबकि इसका संधारण रोजनामचे की तरह किया जा रहा है अर्थात इसमें ना तो कोई इति शेष है और न ही कोई अंतिम शेष । ऐसी स्थिति में बैंक से किए जा रहे लेन देन पर कोई नियंत्रण नही रह जाता तथा रोकड़ बही बैंक में पंचायत के खाते में मौजूद शेष राशि के बारे में कोई विशवसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती , जिस प्रकार **अनुदान PMAGY के अन्तर्गत वितीय वर्ष 2014–15 के दौरान उपलब्ध राशि से ₹112683 अधिक का भुगतान किया गया है क्योंकि 31.03.2015 को उक्त अनुदान की वितीय स्थिति {परिशिष्ट–2A} ऋणात्मक {Negative Balance} दर्शा रही है ।** जोकि लेखा संधारण के नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित व् आपतिजनक है । इसी प्रकार खाता बही में भी न तो कोई इति शेष है और न ही कोई अंतिम शेष। ऐसी स्थिति में पंचायत **द्वारा** बनाई जा रही आय –व्यय तालिका तथा सन्तुलनपत्र की मदें विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इनमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

6. ₹1.17 लाख ब्याज विकास खण्ड अधिकारी , पच्छाद को वापसी (Refund) की पुष्टि न होना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नतालिकानुसार विभिन्न अनुदानों के बचत खातों पर अर्जित ब्याज **₹ 1,17,177** का विकास खण्ड अधिकारी पच्छाद को दर्शाई गई वापसी की अंकेक्षण के दौरान पुष्टि नहीं हो सकी क्योकि उक्त राशि के विकास खण्ड अधिकारी, पच्छाद के खाते मे जमा होने सम्बंधित कोई भी रसीदें/अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये । अतः राशि के उक्त स्थानान्तरण से सम्बन्धित रसीदें /अभिलेख आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये ताकि उक्त राशी के सही खाते में जमा होने की पुष्टि हो सके ।

Name of Fund	Date of Refund	Amount	Remarks
B.R.G.F.	17/08/2015	54467/-	Ch.No.082196
I.A.Y	22/08/2015	22594/-	--------.450333
PMAGY	09/02/2016	40116/-	--------.266573
Total amount refunded		**117177/-**	

उपरोक्त के अतिरिक्त केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों पर अर्जित ब्याज को वापिस नहीं जाना चाहिये था क्योंकि अर्जित अवकाश कार्यक्रम का ही भाग है ।

7. स्वयं के स्त्रोत से आय की वसूली में उदारताः –

ग्राम पंचायत चमेन्जी को गत तीन वर्षों में स्व : स्त्रोत से प्राप्त आय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत को स्व : स्त्रोत से बहुत ही कम आय प्राप्त हो रही है जिसका प्रमुख कारण गृहकर व अन्य करों की समय पर वसूली न करना है क्योंकि पंचायत ने पिछले कई वर्षो से गृहकर व अन्य करों की दरें ही निर्धारित नहीं की है क्योंकि इन करों/शुल्कों से सम्बंधित निर्धारित दरें अंकेक्षण द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं की गई । सचिव ग्राम पंचायत चमेन्जी द्वारा उनके पत्र क्रमांक जी .पी-चमेन्जी/76/2017 दिनांक 30/07/2017 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न करों व शुल्कों की अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित दरों से वसूली की गई है:-

क्रम संख्या	**विवरण**		**(शुल्क/कर) दरें रु.**
1	विवाह पंजिकरण शुल्क (SC)		25
2	विवाह पंजिकरण शुल्क (अन्य)		200
3.	प्रमाण पत्र शुल्क		10
4.	सम्पत्ति कर	2014-15	30
		2015-16	30
		2016-17	50

अतः उक्त दरों को निर्धारित न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में समय रहते इन दरों का नियमानुसार निर्धारण कर तदनुसार ही इन करों व शुल्कों की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

8. गृहकर के रूप में ₹0.20 लाख की वसूली शेष:-

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या :जी.पी.ऑडिट/पच्छाद/चमेन्जी/2017-18-2 दिनांक 29/07/2017 के सन्दर्भ में सचिव ग्राम पंचायत चमेन्जी **द्वारा** उनके पत्र क्रमांक जी.पी.चमेन्जी/76/2017 दिनांक 30/07/2017 **द्वारा** गृहकर के बारे में जो सुचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31/03/2017 को पंचायत को गृहकर के रूप में **₹19990** वसूली योग्य शेष बताई गई जिसका ब्यौरा निम्नलिकानुसार है ।

वर्ष	**पंजीकृत परिवारों की संख्या**	**गृहकर की प्रतिवर्ष दर (रु.)**	**गृहकर की वसूली योग्य कुल राशि (रु.)**	**गृहकर की वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि (रु.)**	**गृहकर की वसूली योग्य शेष राशि (रु.)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013-14	302	30	9060	-------	9060
2014-15	315	30	9450	-------	18510
2015-16	342	30	10260	10440	18330
2016-17	356	50	17800	16140	19990
वसूली योग्य कुल राशि (4-5)			**46570**	**26580**	**19990**

क्योंकि सचिव ग्राम पंचायत , चमेन्जी द्वारा ग्रहकर की वसूली से सम्बन्धित **"मांग एवं वसूली पंजी"** का संधारण नहीं किया जा रहा है ऐसे में गृहकर के सम्बन्ध में वास्तविक वसूली योग्य राशि उक्त राशि से कहीं अधिक होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता । अतः उपरोक्त अनुसार गृहकर की **₹19990** वसूली योग्य शेष बनती है जिसकी वसूली शीघ्र अतिशीघ्र की जाए, साथ ही, पंचायत सचिव **द्वारा** इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर अभिलेख की पुनः जांच करते हुए वास्तविक वसूली योग्य राशि का आकलन करके तथा सम्बन्धित परिवारों से उसकी वसूली करते हुए पंचायत निधि में जमा करना सुनिश्चित किया जाये तथा तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये । इसके अतिरिक्त भविष्य में **मांग एवं वसूली पंजी** का संधारण भी किया जाये ताकि पंचायत को देय सही राशि का तुरन्त बोध हो सके तथा पंचायत को आय की हानि न हो।

9. ₹0.02 लाख गृहकर की कम जमा करवाई गई राशि की वसूली बारेः -

ग्राम पंचायत चमेन्जी की स्व : स्त्रोत से प्राप्त आय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रसीद बुक संख्या 2068 के रसीद संख्या 1 से 19 तक ₹90 प्रति रसीद के हिसाब से माह 02/2016 में वसूली गई गृहकर की ₹1710 (90xx19) निधि की रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गई थी जिसे अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण आपत्ति के उपरान्त सचिव ग्राम पंचायत चमेन्जी **द्वारा** दिनांक 31/07/2017 को सामान्य निधि की रोकड़ बही के पृष्ट संख्या 123 पर दर्ज कर दिया गया है । अतः उक्त राशि को निधि के बचत खाते में तुरन्त जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए । प्राप्त आय की राशि को सम्बन्धित खाते में तुरन्त जमा न करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 की अवहेलना है जिस बारे स्पष्टिकरण प्रस्तुत किया जाए तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली आय की राशि को निधी की रोकड़ बही में तुरन्त दर्ज कर सम्बन्धित बचत खाते में जमा करना सुनिश्चित किया जाए ताकि उक्त राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना को टाला जा सके ।

10. बिना बिल/वाउचर्स के ₹1.13 लाख का आहरण/अनियमित भुगतानः -

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि प्रधानमन्त्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत संलग्न **{परिशिष्ट-5}** के अनुसार **₹112590** का आहरण/भुगतान बिना बिल व् भुगतान की रसीद प्राप्त किये ही किया गया है क्योंकि अंकेक्षण के दौरान उक्त आहरण /भुगतान से सम्बन्धित कोई भी बिल/वाउचर पंचायत सचिव **द्वारा** अंकेक्षण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार सम्बन्धित खाते से किया गया उक्त राशि का आहरण/भुगतान पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 47(1) व (2) की स्पष्ट अवहेलना होने के कारण अनियमित है जोकि आहरित राशि का दुर्विनियोजन प्रतीत होता है। अतः मामले की आधिकारिक जांच करके स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा, उचित भुगतान की पुष्टि न होने पर उक्त राशि को सम्बन्धित से दंड ब्याज सहित

वसूली करके पंचायत निधि मे जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए ।

11. स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गयी₹3418 की वसूली बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **बी.आर.जी.एफ.** स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत कार्य **"निर्माण सम्पर्क मार्ग मुख्य मार्ग से गाँव बशेच "** हेतु योजना में **₹2,39,000.** स्वीकृत थी जबकि उक्त कार्य पर BRGF की खाता बही (ledger) के पृष्ट संख्या 30 के अनुसार दिनांक 07/07/2014 तक **₹2,92,418** खर्च कर दी गयी थी , उक्त अधिक व्यय की गयी राशि में से दिनांक 28/05/2014 को **₹50000** की वसूली सम्बन्धित से कर दी गयी थी जिसके बावजूद (292418-239000=53418-50000=3418) **₹3418** की वसूली सम्बन्धित से ओर की जानी चाहिए थी जोकि अंकेक्षण अवधि तक नहीं की गयी थी । अतः उक्त राशि की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा राशि को सम्बन्धित से दण्ड ब्याज सहित वसूलकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित अनियमितताएँ:-

(i) तकनीकी प्राधिकारी के मुल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय कर ₹0.12 लाख का अधिक आहरण/भुगतान कर राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों में तकनीकी प्राधिकारी के प्राक्कलन/मूल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री की मात्रा की खरीद कर निम्नतालिकानुसार **₹11783** का अधिक आहरण किया गया है जिसे उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

PMAGY:-निर्माण कार्य, पक्की गली/ रास्ता टायल सहित भल्जा MB-7359 पेज 7-11

निर्माण सामग्री का नाम	सामग्री की क्रय की गई मात्रा	सामग्री की मूल्यांकित मात्रा	अधिक क्रय की गई मात्रा	क्रय दर	राशि का अधिक आहरण/व्यय
सीमेंट	100 बैग्स	86 बैग्स	14 बैग्स	225/-	3150/-
विकास कार्य (SDP):- निर्माण कार्य, सामुदायिक भवन भोड़ी, MB-7359 पेज 14 से 17					
ईंटें	6000	5681	319	7/-	2233/-
सरिया	735 किलो	575 किलो	160 किलो	40/-	6400/-
				राशि का कुल अधिक आहरण/भुगतान	**11783/-**

(ii) निर्माण कार्य के पूर्ण हो जाने के उपरांत सीमेंट की खरीद हेतु ₹0.18 लाख का संदिग्ध क्रय/भुगतान:-

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **निर्माण कार्य सामुदायिक भवन भोड़ी (SDP)** का कार्य माप पुस्तिका **संख्या:7359** के पृष्ट संख्या **14 से 17** के अनुसार उक्त दिनांक 06/04/2015 को कार्य पूर्ण हो गया था जबकि उक्त कार्य के समाप्ति हेतु दिनांक 06/02/2016 (10 महीने बाद) 30 बैग्स सीमेंट @ 258/-प्रति बैग तथा ढुलान सहित

₹9,495 का भुगतान दर्शाया गया है जोकि तर्कसंगत प्रतीत न होकर अनियमित /संदिग्ध प्रतीत होता है , जिस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए । क्योंकि किसी भी कार्य के पूर्ण होने के उपरांत सामग्री की खरीद नहीं की जा सकती।

(ख) इसी प्रकार निर्माण कार्य **पक्का रास्ता टायल सहित भल्जा (PMAGY)** का कार्य माप पुस्तिका **संख्या:7359** के पृष्ट संख्या **7 से 11** के अनुसार दिनांक 06/11/2015 को कार्य पूर्ण हो गया था , जबकि उक्त कार्य के लिए दिनांक 24/05/2016 (लगभग 6 महीने बाद) 450 टायल्स @ 19/-प्रति टायल के हिसाब से **₹8550** का भुगतान दर्शाया गया है जोकि तर्कसंगत प्रतीत न होकर अनियमित व संदिग्ध प्रतीत होता है , जिस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए।

उपरोक्त किये गए भुगतान/आहरण अनियमित पाए जाने की स्थिति में आहरित राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) निर्माण कार्यो को तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकित करवाए बिना₹31.46 लाख का आहरण/भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों को सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकित करवाए बिना **₹31,45,582** का आहरण /भुगतान किया गया है , जोकि नियमानुसार न होने के कारण अनियमित तथा संदिग्ध प्रतीत होता है । उपलब्ध करवाई गई विकास कार्यों की सूचि {**परिशिष्ट-7**} के अनुसार बहुत से कार्य वर्ष 2014-15 या इससे भी पहले से शुरू किये गए है जोकि अंकेक्षण अवधि तक भी पूर्ण नहीं हुए थे और न ही इन कार्यों पर दर्शाए गए व्यय को तकनीकी प्राधिकारी **द्वारा** का मूल्यांकित किया गया है , जोकि उक्त विकास कार्यों की सूचि के अनुसार स्वतः ही स्पष्ट है । उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित **प्राक्कलन अभिलेख, माप पुस्तिकाएं, मूल्यांकन शीट्स तथा उक्त कार्यो के पूर्ण होने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख** अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए , जिनके आभाव में दर्शाया गया व्यय /भुगतान सही था या नहीं इस बात की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी । जिस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए । भुगतान/आहरण अनियमित पाए जाने की स्थिति में आहरित राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iv). निर्माण कार्य , पक्की गली /रास्ता टायल सहित भल्जा (PMAGY) हेतु दो विभिन दरों से टायल्स की खरीद कर₹1300 का अधिक भुगतान:-

उपरोक्त कार्य हेतु प्राक्कलन में दर्शायी गई मात्रा के अनुसार कोटेशन्स लेकर तदानुसार न्यूनतम दर पर खरीद न करके **₹1300** का अधिक भुगतान किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट

की जाए अन्यथा उक्त राशी को उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। टायल्स की खरीद का ब्यौरा निम्नानुसार है;

दिनांक	टायल्स की मात्रा	खरीद दर	न्यूनतम दर	अधिक व्यय
10.01.14	1000	20/-	19/-	1000/-
25.04.14	1500	19/-	19/-	------
26.03.15	300	20/-	19/-	300/-
			कुल अधिक भुगतान	**1300/-**

उपरोक्त से यह प्रतीत होता है की पंचायत **द्वारा** विकास कार्यों हेतु राशि खर्च करते समय प्रावधित नियमों की अनुपालना करते हुए सरकारी धन राशि का उपयोग करते समय मितव्ययता को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है जोकि सरकार द्वारा समय -समय पर जारी निर्देशों की अवहेलना होने के कारण अनियमित है जिस बारे विभागीय स्तर पर सख्त दिशा निर्देश जारी करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पर प्रतिबन्ध लगाकर सरकारी धन राशि के दुरुपयोग पर रोक लगायी जा सके।

(v) **निर्माण कार्य पक्का रास्ता भोंड़ी में मस्टर रोल्स संख्या :21522 पर दर्शाए गए ₹0.16 लाख के भुगतान की पुष्टि न होना:-**

उपरोक्त दर्शाए गए कार्य में मस्टर -रोल्स संख्या :21522 में निम्नतलिकानुसार दर्शाए गए मजदूर /दिहाड़ीदार को किये गए **₹15,670** के भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि सम्बन्धित मजदूर/दिहाड़ीदार से भुगतान की गई राशि की प्राप्ति से सम्बन्धित रसीद न तो मस्टर -रोल्स बिल पर ली गई थी और न ही अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की गई । जिसकी अनुपस्थिति में किया गया उक्त राशि का आहरण संदेहास्पद प्रतीत होता है । जिस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा **उक्त** राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए ।

इसके अतिरिक्त उक्त मस्टर-रोल्स को न तो बिल रजिस्टर में दर्ज किया गया था, और न ही भुगतान करने से पूर्व इसे तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकित तथा पंचायत प्रधान और सचिव के **द्वारा** सत्यापित व पारित किया गया था , जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 48 व 49 की अवहेलना है । अतः इन अनियमितताओं के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

13. निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही तरीके से रख-रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता प्रमाण -पत्र इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही अंकेक्षण अवधि के दौरान किये गए विकास कार्यो से सम्बन्धित माप पुस्तिकाए अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई । जिनकी अनुपस्थिति में निर्माण कार्यों पर खर्च किये गये लाखों

रूपये के व्यय की माप पुस्तिकाओं तथा सम्बन्धित अभिलेख के अनुसार जाँच नहीं की जा सकी । जिससे विकास कार्यो पर दर्शाया गया व्यय प्राक्कलन व अधिकारिक अनुमोदन के अनुसार सही था भी या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी और न ही कार्यों के पूर्ण होने की स्थिति ज्ञात हो सकी। अतः उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उन्हें पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि पंचायत **द्वारा** निष्पादित करवाए जा रहे लाखों रूपये के निर्माण कार्यों की पूर्ण जाँच सम्भव/सुनिश्चित हो सके।

14. मनरेगा योजना के अंतर्गत खर्च राशी से सम्बन्धित अनियमितताएँ –

(i) वितीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 की रोकड़ बही संधारित न करना: –

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव **द्वारा** वितीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान व खर्च की गयी राशि को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है, जबकि उक्त अवधि में सचिव ग्राम पंचायत **द्वारा** प्रदान की गई **Online Financial Statements** के अनुसार विभिन्न विकास कार्यो पर वर्ष 2015-16 में **₹6,34,726** तथा वितीय वर्ष 2016-17 में **₹9,03,120** का Online भुगतान किया गया है । उक्त प्राप्ति व भुगतान का रोकड़ बही खता बही में दर्ज न होने के कारण न तो उन्हें वितीय स्थिति में शामिल किया जा सका और न ही सम्बन्धित अभिलेख के साथ उसकी अंकेक्षण से सम्बन्धित जाँच की जा सकी , क्योंकि उक्त योजना के अंतर्गत अंकेक्षण अवधि के दौरान स्वीकृत/किये गए विभिन्न विकास कार्यों (सार्वजनिक व् निजी) की विकास कार्य सूचि , स्वीकृति पत्र , कार्यों के तकनीकी प्राक्कलन , सम्बन्धित माप पुस्तिकायें , कार्य पूर्ण होने व् मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिनके आभाव में उक्त योजना खर्च की गई राशि का व्यय /भुगतान सही था या नही इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः उक्त अवधि की रोकड़ बही को संधारित न करने तथा सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे ओचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये , तथा भविष्य में नियमानुसार अभिलेख को तैयार करना भी सुनिश्चित किया जाए।

(ii) बिल/वाउचर्स के अनुसार रोकड़ बही में दर्ज व्यय की राशि से वर्ष 2014-15 के दौरान ₹3.34 लाख का Online अधिक भुगतान: –

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वितीय वर्ष **2014-15** में मनरेगा योजना के अंतर्गत **(Online Financial Statements)** के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों हेतु किये गए भुगतान की राशि रोकड़ बही में बिल/वाउचर के अनुसार दर्ज की गई व्यय की रा शि से **₹3,33,956** अधिक है। उक्त **Online** भुगतान की गई राशि तथा रोकड़ बही में दर्ज व्यय की रा शि में जो अन्तर है उस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा उक्त अधिक भुगतान की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर पंचायत सम्बन्धित कोष में जमा किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत कर वाना सुनिश्चित किया जाये । उक्त अधिक भुगतान /अन्तर का ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है;

वितीय वर्ष	**रोकड़ बही के अनुसार ऑन लाइन किया गया भुगतान**	**फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स के अनुसार ऑन लाइन किया गया भुगतान**	**अधिक भुगतान (अन्तर)**
1	2	3	4{3-2}
2014-15	8,52,900/-	11,86.856/-	3,33,956/-

कुल अन्तर 3,33,956/-

(iii) निर्माण सामग्री के क्रय पर कार्य के लिए स्वीकृत राशि के 40% से अधिक राशि खर्च कर ₹1.07 लाख का अधिक भुगतानः -

अंकेक्षण के दौरान **Online Financial Statements** कि जाँच करने पर पाया गया कि मनरेगा योजना के दिशा निर्देशों के विपरीत राशि को खर्च कर निर्माण सामग्री की खरीद पर निर्धारित 40% की सीमा से अधिक राशि खर्च करके अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नतालिकानुसार **₹106503** का अधिक भुगतान किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा नियमों के विपरीत निर्धारित मापदण्डों से अधिक व्यय /भुगतान की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त उक्त कार्य लगभग 3 वर्ष से प्रगति पर है जोकि सम्बन्धित स्वीकृत पत्रों की शर्तों की विपरीत होने के कारण अनियमित है जिनकी सक्षम प्राधिकारी की पुनः स्वीकृति ली जानी चाहिए, साथ ही लम्बित कार्यों की विभागीय स्तर पर जाँच कर दिशा निर्देशों के विपरीत अधिक व्यय की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार के मामलों की पुनरावृति को रोका जा सके।

विकास कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	मजदूरी पर कुल खर्च/ भुगतान	निर्माण सामग्री के क्रय पर कुल खर्च/भुगतान	मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत 40% देय राशि (Permissible amount)	निर्माण सामग्री के क्रय पर स्वीकृत राशि के 40% से अधिक का भुगतान
निर्माण सिंचाई कूहल , टिपरिया से धरला	150000	31416	74604	20944	53660
निर्माण फुट ब्रिज घराट की थड	150000	27086	70900	18057	52843
		कुल अधिक भुगतान			**106503**

15. ₹1.13 लाख की पेशगी राशि की शेष वसूलीः -

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या : 3 दिनांक 01.08.2017 के सन्दर्भ में सचिव ग्राम पंचायत चमेन्जी **द्वारा** उनके पत्र क्रमांक GP-Chamenji-77/2017 दिनांक 03.08.2017 **{परिशिष्ट-8(2)}** के अनुसार दिनांक 31.03.17 को पेशगी के रूप में आहरित ₹113078 दिनांक 31.03.1998 से पहले से समायोजन हेतु शेष बताई गई है जिसकी सम्बन्धित से तुरन्त वसूली कर पंचायत निधि में जमा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 ₹3.75 लाख की अधिक व्यय शेष वासूली बारेः -

उपरोक्त पैरा में वर्णित अंकेक्षण ज्ञापन व प्रतिउत्तर पत्र के अनुसार दिनांक 31.03.1998 से पहले से विभिन्न विकास कार्यों पर किये गए **₹3,75,354 {परिशिष्ट-8(4)}** की अधिक व्यय की गई राशि की वसूली अंकेक्षण अवधि तक शेष थी । जिसे न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा उक्त वसूली योग्य राशि को सम्बन्धित से नियमानुसार दण्ड

ब्याज सहित तुरन्त वसूली कर पंचायत निधि में जमा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17. अनुदानों की ₹17.69 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत **द्वारा** उपलब्ध कारवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक अनुदानों से प्राप्त **₹17,69,133.91 {परिशिष्ट-2}** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत को विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था , जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ -साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित रहना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की उपरोक्त राशि के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का सम्बन्धित संस्था को प्रत्यार्पण किया जाये।

18. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टोर/स्टॉक का क्रय:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) **द्वारा** स्टाक /स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधित है जिसके अनुसार **₹**1000 से अधिक के व **₹**50,000 से कम राशि के क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाना तथा **₹**50,000 से अधिक राशि के क्रय हेतु निवि दाएं आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके । जबकि नियम 67 (3) (a) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान , उप प्रधान , ग्राम पंचायत **द्वारा** नामित दो वार्ड मेम्बर्स तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति द्वारा निविदा/कोटेशन्स आमंत्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने का प्रावधान है । परन्तु ग्राम पंचायत ने बिना उप समिति का गठन किये था और नियमानुसार कोटेशन /निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही स्टोर/स्टॉक की सामग्री का क्रय किया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तीजनक है। अतः उक्त व्यय /क्रय को नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक व्यय /क्रय नियमानुसार तरीके से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त नियमों कि अवहेलना कर पंचायत **द्वारा** किये गये क्रय की कुछ मदों का ब्यौरा पैरा संख्या : 20 के नीचे लगी तालिका में दिया गया है;

19. जे.सी.बी चार्जीस का ₹2.40 लाख का अनियमित भुगतान:-

ग्राम पंचायत चमेन्जी के अवधि 01/4/2014 से 31/03/2017 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न कार्यों हेतु जे.सी.बी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर **₹2,40,200** का भुगतान बिना निविदाएं आमन्त्रित ही किया गया है , जबकि पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 (5) (a)व(b) के अनुसार **₹**1000 से अधिक की राशि के भुगतान /क्रय के लिये कोटेशन्स /निविदाएँ आमंत्रित की जानी अनिवार्य है । जबकि नियम 67(3) के अनुसार उक्त कार्यो हेतु कोटेशन्स /निविदाएँ आमंत्रित करने के लिए

एक उप समिति का गठन किया जाना अनिवार्य था , जिनकी अनुपालना किये बिना ही पंचायत **द्वारा** जे.सी.बी को विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग में लाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए । इसके अतिरिक्त जे .सी.बी **द्वारा** करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सम्बन्धित कनिष्ट अभियंता/तकनीकी सहायक **द्वारा** अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिनकी अनुपस्तिथि में जे.सी.बी चार्जिस का लाखों रूपये का भुगतान तर्कसंगत व उचित था नहीं कहा जा सकता । अतः सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा जे.सी.बी द्वारा करवाए गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न ठेकदारों को जे .सी.बी चार्जिस का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौतीयां नहीं की गई है जबकि नियमानुसार सम्बंधित ठेकेदारों से निम्नवर्णित संवैधानिक कटौतीयां की जानी वांच्छित थी ।

(क) आयकर 2%
(ख) सेल्स टैक्स 3%
(ग) प्रतिभूति राशि 10%
(घ) लेबर सेस 1%

अतः उपरोक्त कटोतियों को सम्बंधित बिल से न किये जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतियां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए

जे.सी.बी चार्जीस का ₹2,40,200 के अनियमित भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	फर्म/ठेकेदार का नाम	बिल संख्या /दिनांक	कार्य के घंटे	दर प्रति घंटा (₹)	कुल भुगतान (₹)
		बी.आर.ज़ी.एफ.			
1.	श्री रणधीर ठाकुर	11/ 11.11.16	232	700	162400
		विकास कार्य			
2.	S.T. Sons, vill. Saroj.	736/ 15.04.15	38	725	27550
3.	-----do----	745/ 02.10.15	40	750	30000
4.	-----do----	748/ 05.11.15	27	750	20250
		कुल अदायगी			**240200**

20. क्रय की गई स्टोर/स्टॉक की सामग्री की प्रविष्टि न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत **द्वारा** प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है । ग्राम पंचायत चमेन्जी के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत **द्वारा** विभिन्न कार्यों हेतु क्रय की गई विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में

दर्ज नहीं की जा रही है जोकि नियमनुसार अपेक्षित थी । अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई कुछ मदें जिन्हें स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है ।

क्रम संख्या	विक्रेता का नाम	बिल संख्या/ दिनांक	क्रय की गई सामग्री	भुगतान की गई राशि
		अनुदान: विकास कार्य		
1.	संजय स्टोर सरांह	1433/ 20.5.14	180 kg सरिया	8694
2.	-----do------	1314/ 9.11.15	सरिया	29250
3.	सत्यपाल	728/ 01.2.16	7000 ईंटें	51050
4.	मनीष गुड्स कैर्रियर	252/ 20.10.16	300 फुट रेत 200 फुट बजरी	12000 9000
5.	तरुण कुमार	341/ 28.11.16	4000 ईंटें	30000
6.	अरुण कुमार, नारग	26/ 06.08.16	2500 ईंटें	18750
8.	संजय स्टोर सरांह	846/ शून्य	670 **kg** सरिया	25500
		अनुदान: बी.आर.जी.एँफ़.		
9.	अरुण कुमार, नारग	16/ 26.06.16	2900 ईंटें	21750

अतः क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ।

21. बिलों को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित व पारित करवाए बिना ₹5.92 लाख का अनियमित भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **₹5,92,189** के बिल वाउचर्स पर विकास कार्य का नाम, स्कीम/अनुदान का नाम , प्रस्ताव संख्या जिस **द्वारा** उक्त भुगतान की अदायगी को पंचायत **द्वारा** स्वीकृति प्रदान की गई को अंकित नहीं किया गया था और न ही उक्त बिलों को बिल रजिस्टर में दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त भुगतान करने से पूर्व बिलों को सक्षम प्राधिकारी **द्वारा** सत्यापित व पारित भी नहीं किया गया था , जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम (7) (47) (48) व (49) के प्रावधानों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः उक्त बिलों/व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत प्राप्त कर नियमित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया

जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियमों का सख्ती से पालन करना भी सुनिश्चित किया जाए । उपरोक्त वर्णित बिलों का विवरण {**परिशिष्ट-6**} पर संलग्न है।

22. बजट प्राक्कलन तैयार न करना : -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव **द्वारा** फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार /अनुमोदित न करने के कारण पंचायत **द्वारा** किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

23. सावधि जमा में राशि का निवेश न करना

ग्राम पंचायत **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी , जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग अगले 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को पंचायत में इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश कर पंचायत के लिए ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन किया जा सकता है । अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गये निर्देशों की अनुपालना करते हुए अधिशेष (Surplus Funds) राशि को सुनियोजित तरीके से निवेश कर ग्राम पंचायत निधि के लिए ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

24. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत **द्वारा** विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रखरखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** निम्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये |

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर |
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी |
3. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर |
4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर |
5. अग्रिमों का रजिस्टर |
6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर |
7. प्राक्कलन,तकनिकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर |
8. मांग व प्राप्ति रजिस्टर।
9. स्टेशनरी रजिस्टर।
10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर।
11. मस्टर रोल्स इशू रजिस्टर।

12. इन्वेंटरी रजिस्टर।

25. प्रत्यक्ष सत्यापनः –

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** भंडार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्तिथि स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

26. लघु आपत्ति विवरणिका

(i) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को मात्र ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया जा रहा है जबकि पंचायती राज वित्त नियम , 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक की ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव **द्वारा** शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्त : हस्ताक्षरित न किया गया हो । अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव **द्वारा** संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(ii) पंचायती राज वित्त नियम , 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक बिल /वाउचर पर ग्राम सभा **द्वारा** उस व्यय को पारित किये जाने से सम्बंधित प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित किया जाना अनिवार्य है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये जा रहे किसी भी बिल/वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया गया है । **कार्यवाही पंजिका के अनुसार दिनांक 24.05.2016 की मासिक बैठक के पश्चात कोई भी अदायगी /भुगतान पंचायत बैठक में पारित नहीं किया गया है** जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम का पालन किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

सचिव ग्राम पंचायत **द्वारा कार्यवाही पंजीका** का उचित तरीके से संधारण नहीं किया गया है जिससे इस पंजी के दुरूपयोग होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता , जैसा की उपरोक्त पैरा में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत चमेन्जी द्वारा व्यय से सम्बन्धित वाउचरों में नियमानुसार अपेक्षित ग्राम सभा /ग्राम पंचायत के सम्बधित प्रस्तावों का उल्लेख नहीं किया जा रहा है , ऐसी स्थिति में अंकेक्षण के दौरान **"ग्राम सभा एंवम ग्राम पंचायत कार्यवाही पंजी"** के अवलोकन में पाया गया कि उक्त पंजिका में एक साथ कई पृष्ट खाली छोड़कर तथा विभिन्न स्थानों/पृष्ठों में उपस्थित पदाधिकारियों /सदस्यों के हस्ताक्षर कार्यवाही की प्रविष्टि शुरू होने के स्थान पर ही दर्ज की जा रही है जबकि ये ग्राम पंचायत **द्वारा** पारित प्रस्तावों के उल्लेखन उपरान्त उक्त बैठक की कार्यवाही को बन्द करने के उपरांत करवाए जाने अपेक्षित थे ताकि पंचायत

प्रधान एवं पंचायत सचिव **द्वारा** अपने स्तर पर किसी प्रस्ताव को पारित न दर्शाया जा सके। उक्त पंचायत के सन्दर्भ में ऐसी स्थिति की सम्भावना से बिल्कुल भी इन्कार नहीं किया जा सकता , क्योकि कार्यवाही पंजिका के **पृष्ट संख्या 201 व 202 पर मासिक बैठक दिनांक 06.01,2017** को बन्द किये बिना ही उक्त पंजिका को पृष्ट संख्या 203 से 301 तक खाली छोड़कर दिनांक 26.01.2017 से नयी कार्यवाही पंजिका खोली गई । उक्त पंजिका को नियमानुसार संधारित न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इसका संधारण नियमानुसार करना भी सुनिश्चित किया जाए ।

27. निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(x)15/2017 खण्ड–1–1169–1172 दिनांक 16.02.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत **चमेन्जी,** विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881